# न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
## पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 219 दायर दिनांक : 22.07.2015

1. दुली देवी पत्नी श्री काशीराम जाति बैरागी निवासी किशनपुरा ढ़ाणी तहसील सूरतगढ़।
2. रजीराम पुत्र श्री काशीराम जाति बैरागी निवासी किशनपुरा ढ़ाणी तहसील सूरतगढ़।
3. खेतपाल पुत्र श्री काशीराम जाति बैरागी निवासी किशनपुरा ढ़ाणी तहसील सूरतगढ़।
4. बिशनदास पुत्र श्री काशीराम जाति बैरागी निवासी किशनपुरा ढ़ाणी तहसील सूरतगढ़।
5. देवीलाल पुत्र श्री काशीराम जाति बैरागी निवासी किशनपुरा ढ़ाणी तहसील सूरतगढ़।
6. उमी देवी पुत्री श्री काशीराम पत्नी श्री हरिराम जाति स्वामी निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़।
7. गुड्डी बाई पुत्री श्री काशीराम पत्नी श्री केशरराम जाति बैरागी निवासी काशीराम का बास तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

.....प्रार्थीगण

**बनाम**

1. मोहनदास पुत्र श्री लाधूदास जाति बैरागी निवासी किशनपुरा ढाणी तहसील सूरतगढ़।
2. साजनदास पुत्र श्री लाधूदास जाति बैरागी निवासी किशनपुरा ढाणी तहसील सूरतगढ़।
3. पन्नादास पुत्र श्री लाधूदास जाति बैरागी निवासी किशनपुरा ढाणी तहसील सूरतगढ़।

....अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.1955**

उपस्थितः

1. श्री भगवानदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रार्थीगण सं. 1 ता 8
2. श्री विनोद बिशनोई, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3

**निर्णय** दिनांक : 02/03/2020

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई, पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित है पत्रावली का अवलोकन किया, विचारण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि उनके नाम मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2062 चक 8 के.एस.पी.एम.ए. के खाता सं. 8 का प.न. 11/03 का कि.न. 4, 7 ता 9, 11 ता 14, 17 ता 21 = 4.454 है. प.न. 11/12 का कि.न. 1, 10 = 0.456 है. प.न. 11/4 का कि.न. 1, 3 ता 7 = 1.518 है. व प.न. 231/60 का कि.न. 3 ता 5 = 0.759 है. कुल 7.415 है. कमाण्ड/अन कमाण्ड मय खाला वर्ष 55 के पश्चात की भूमि दर्ज है, इस भूमि में से प.न.

क्रमशः 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

11/4 के कि.न. 4 ता 7 की 1.012 है. पर प्रतिवादीगण बिना अधिकार के व उनके नाम अंकित ना होने पर भी कब्जा कर रहे है। उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की व उन्हें इकतरफा सुनकर दि. 22.07.2015 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई की वे मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें, साथ ही अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण न. 1 वा 3 अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित आये अप्रार्थी न. 2 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही के आदेश हुए। जवाब अप्रार्थी न. 1 में प्रार्थीगण का मौका पर कब्जा ना होने व उनका अंकन गलत आधार पर होने से प्रार्थना पत्र व पूर्व में जारी स्थगन निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

बाद आने जवाब पक्षकारान के तर्क सुने गये अभिभाषक प्रार्थी द्वारा तर्क दिया की वे अंकित काश्तकार है मौका पर उनका कब्जा काश्त है, अंकित काश्तकार को अदालत के माध्यम से कब्जा सुरक्षित रखने का हक है। प्राथमिक रूप से उनका मामला बनता है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में जारी स्थगन ता फैसला वाद स्वीकृत करने कि प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा लिखित में तर्क दिया गया कि प्रार्थी का मौका पर कब्जा नहीं है वे अपने नाम अंकित भूमि का तबादला अन्य स्थान पर प्राप्त कर चुके है उनका प्राथमिक रूप से मामला नहीं बनता इसलिये प्रार्थना पत्र व स्थगन निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

तर्क सुनने के बाद पत्रावली का तर्कों के परिपेक्ष्य में मनन व पठन करने व दस्तोजी रिकॉर्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2062 चक 1 के.एस.पी.एम.ए. अंकित नामान्तरण संख्या 10 दि. 20.10.2012 अनुसार प.न. 11/4 का कि.न. 4, 5, 6, 7 की 1.012 है. भूमि पूर्व में काशीराम के नाम वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम बतौर काश्तकार दर्ज है व इनका अंकन अुनसार कब्जा प्राथमिक रूप से माना जाने योग्य है। प्राथमिक रूप से मामला बनना पाया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे इस भूमि का तबादला अन्यत्र लिया जाना साबित हो। उनका कब्जा साधिकार किसी प्रकार से दस्तावेजी साक्ष्य से मिलान नहीं होता। प्राथमिक रूप से मामला बनने, सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में व अपूर्णीय क्षति बहक प्रार्थी पाये जाने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकृति योग्य है।

उपरोक्त अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थीगण आदेश दिनांक 22.07.2015 के अनुसरण में चक 1 के.एस.पी.एम.ए. तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 8 के प.न. 11/4 का कि.न. 4 ता 7 की 1.012 है. भूमि की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति ता फैसला वाद बनायें रखें।

आदेश सुनाया गया, पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.03.17 14:44:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: